न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/343/2017

उनवान

1. मांगी लाल पिता सवाई खाती निवासी मेफलियास, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. भँवर पिता हजारी नाई निवासी मेफलियास, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 245/2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.6.2017

——

अधिवक्तागण :—

1. श्री गोपाल अजमेरा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री संजय सेन ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3.. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 29.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेफलियास, पटवार हल्का नेगडिया, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत 2064 से 2067 तक के खाता संख्या

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

210 की आराजी नम्बर 57/2891 रकबा 0.21 है0 व आराजी नम्बर 62/2890 रकबा 1.31 है0 कुल किता 02 रकबा 1.52 है0 वादी के हक में खातेदारी के रूप में दर्ज चली आ रही है। उक्त वादी की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 ने नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है तथा वादी की आराजियात में काश्त करने एवं आने जाने में अवैध रूप से दखलन्दाजी पैदा कर दी है। जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई विधिक अधिकार नहीं है। उक्त कृत्य की सूचना वादी ने दिनांक 16.7.2011 को तहसीलदार आसीन्द व थानाधिकारी आसीन्द को दी । उक्त आवेदन के आधार पर पटवारी हल्का नेगडिया एवं थाने के दो सिपाही उक्त आराजी का सीमा ज्ञान कर प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा कब्जा तुरन्त हटाने हेतु पाबन्द किया । परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने कब्जा हटाने से इंकार कर दिया । अतः वादी के हक में एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध कब्जा बेदखली की डिक्री पारित की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी पर किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें एवं न किसी अन्य से करावें तथा प्रतिवादी संख्या 2 को पाबन्द किया जावे कि वे ऐसी डिक्री की पालना करावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निवेदन है कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जो पूर्व में एकपक्षीय डिक्री हो गया जिसकी अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय श्रीमान् द्वरा दिनांक 13.8.2013 को निर्णय व डिकी को अपास्त की जाकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रेषित किया गया । तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण पुनः दर्ज होने के पश्चात प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत होना था। इसी मध्य पत्रावली को दिनांक 21.6.2017 को लोक अदालत में तलब कर ली गई। जिसकी कोई सूचना अपीलाण्ट को नहीं दी गई तथा लोक अदालत कैम्प में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए महज वादी की उपस्थिति में सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही एवं साक्ष्य लिये बिना ही वाद पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी नम्बर 57/2891 रकबा 0.21 है0 एवं 62/2890 रकबा 1.31 है0 से अपीलाण्ट को बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जिसकी कोई जानकारी अपीलाण्ट को नहीं दी गई। इस प्रकार एकपक्षीय तौर पर एवं प्रकिया का पालन किये बिना ही लोक अदालत की भावना के विपरीत गलत तौर पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि लोक अदालत में निर्णय दोनों पक्षों की उपस्थिति में एवं दोनों पक्षों के सहमत होने पर ही पारित किया जा सकता है। लोक अदालत में गुणागवुण पर एवं एकपक्षीय तौर पर निर्णय पारित किया जाना किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नहीं है। इस तथ्य को नहीं समझकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी/अपीलाण्ट का पिछले 40–50 वर्षो से निरन्तर कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथा जहॉ राजस्व कर्मियों द्वारा अपीलाण्ट को कब्जा सौंपा है वहॉ पर ही अपीलार्थी काबिज है। लेकिन इस संबंध में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। वादी का दावा पूर्णतया मियाद बाहर है । लेकिन अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर ही नहीं मिल पाया इस कारण अपीलाण्ट अपना पक्ष रखने से महरूम रहा है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे।

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 57/2891 रकबा 0.21 है0 एवं 62/2890 रकबा 1.31 है0 जो कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की खातेदारी की है जिस पर जबरन अपीलार्थी/प्रतिवादी ने कब्जा कर लिया जिस पर प्रत्यर्थी/वादी ने तहसील में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार एवं पटवारी हल्का तथा पुलिस वालों की उपस्थिति में दिनांक 16.7.2011 को सीमा ज्ञान कर कब्जा हटाने के लिए अपीलार्थी/प्रतिवादी को कहा उसके बावजूद भी अपीलार्थी/प्रतिवादी ने कब्जा नहीं हटाया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात, राजस्व रेकार्ड, का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी का कथन है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। वादग्रस्त आराजी पर उसका कब्जा काफी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पुराना चला आ रहा है। प्रत्यर्थी/वादी ने अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दिनांक 7.10.2011 को अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया । जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2011 को निर्णय पारित किया। जिसकी अपील न्यायालय हाजा में होने पर निर्णय दिनांक 13.8.2013 को निर्णय पारित करते हुए अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित किया जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.9.2013 को प्रकरण पुनः पंजीबद्ध किया गया और उभयपक्ष को सम्मन जारी किये गये । दिनांक 23.9.2013, 23.12.2013, 31.3.2014 को पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी । दिनांक 16.6.2014 की आदेशिका के अनुसार सम्मन बाद सर्विस अप्राप्त होने से पत्रावली को वास्ते तलबी दिनांक 29.9.2014 नियत की गई। दिनांक 29.9.2014 को पत्रावली वास्ते सम्मन बईन्तजार रखी जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.12.2014 नियत की गई। उसके उपरान्त प्रकरण में 17.10.2016 को पुनः पक्षकारान की तलबी हेतु सम्मन जारी करने के निर्देश दिये गये एव आगामी तारीख पेशी दिनांक 6.2.2017 नियत की गई । दिनांक 6.2.2017 को पीठासीन अधिकारी के अन्य राजस्व कार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.5.2017 नियत की गई । उसके उपरान्त दिनांक 15.5.2017 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई।

9. दिनांक 21.6.2017 को प्रकरण को लोक अदालत कैम्प में तलब की गई। प्रकरण में नियत तारीख पेशी दिनांक 15.5.2017 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई एवं आगामी प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने बाबत कोई सूचना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भी उभयपक्ष को जारी नहीं की गई। अधिनस्थन्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 21.6.2017 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट में रखे जाने बाबत उभयपक्ष को कोई सूचना पत्र बाद तामील अथवा अदम तामील संलग्न नहीं है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने से पूर्व उभयपक्ष को नोटिस जारी किया जाकर उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती । अपीलाधीन प्रकरण उभयपक्ष की तलबी में नियत चल रहा था एवं अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति भी सुनिश्चित नहीं की गई । जिससे प्रतिवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिल पाया । जबकि अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रतिवादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत निर्णय पारित करते। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना कर अपीलाधीन निर्णय पारित नहीं किया गया है।

10. प्रत्यर्थी/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र वर्ष 2011 में प्रस्तुत कर दिया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.2011 की अपील न्यायालय हाजा में होने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.8.2013 को निर्णय पारित करते हुए अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित किया जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.9.2013 को प्रकरण पुनः पंजीबद्ध किया गया । परन्तु पत्रावली से प्रकट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पुनः अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अतः ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण को 3 माह में सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है। चूंकि न्यायालय हाजा के समक्ष उभयपक्ष उपस्थित है ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय में उभयपक्ष नियत तारीख को उपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी नहीं किये जावें।

11. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.6.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 19.11.19 को उपस्थित रहे। ।

12. निर्णय आज दिनांक 29.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

29/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते